| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>राजस्व आवेदन संख्या 29/2023 अनवान खेमाराम बनाम मीरों वगैराह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 21·08·24 | **आदेश**<br>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि मौजा जाखड़ों की ढाणी पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 857/201 रकबा 19.3278 हैक्टेयर व खसरा संख्या 367/204 रकबा 3.4479 हैक्टेयर व मौजा रामदेवपुरा पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 369/276 रकबा 6.7663 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के कब्जा काश्त की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने और विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने के कारण सेढों को लेकर आपस में विवाद रहता है। अप्रार्थीगण वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण तथा संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि का फायदा उठाकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर अन्य को बेचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर भूमि का बेचान करने में सफल होते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाये कि अप्रार्थीगण उपवर्णित भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें न ही प्रार्थीगण | |
| सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested

के हिस्से की भूमि का बेचान करें तथा मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति वाद के निर्णय तक बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण आज बावजूद सूचना अनुपस्थित है। अतः उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थीगण की ईकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस बात की सन्तुष्टी है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि होने से बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जाखड़ों की ढाणी पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 199 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 857/201 रकबा 19.3278 हैक्टेयर व खसरा संख्या 367/204 रकबा 3.4479 हैक्टेयर व मौजा रामदेवपुरा पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा [illegible] 369/276 रकबा 6.7663 हैक्टेयर भूमि में [illegible] की यथा [illegible]। पत्रावली फैसल सुमार होकर [illegible] आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 16:50:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर